

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर 49/2009 तारीख रजू 19.06.2009 तारीख निर्णय 08.4.2026

1. हुल्लाराम पुत्र स्व० पांच्या, माली नि. मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/1 किशानी पत्नी हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/2 काडू पुत्र हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/3 बाबूलाल पुत्र हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/4 हीरालाल पुत्र हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/5 भूरी पुत्री हुल्लाराम पत्नी रामलाल, माली निवासी नयापुरा महुकलों तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/5/1 रामलाल पुत्र रामेत, माली निवासी महुकलों तह० गंगापुर सिटी
- 1/5/2 हरिचरण पुत्र रामलाल, माली निवासी महुकलों तह० गंगापुर सिटी
- 1/5/3 लेखराज पुत्र रामलाल, माली निवासी महुकलों तह० गंगापुर सिटी
2. श्योपाल पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
3. रामखिलाडी पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
4. रामस्वरूप पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
5. बुधराम पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र जयनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
2. कल्लू पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
3. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
4. बच्चू पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
5. शिवचरण पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
6. गोपाल पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
7. रामप्रसाद पुत्र जयराम पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
8. शिवकुमार पुत्र किशोर पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री भानू कुमार दीक्षित, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से




उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(2)
निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख०न० 379 रकबा 1.16 है० ग्राम मिर्जापुर तह० गंगापुर सि० ग्यारसा व रमजू पुत्रान गंगाधर माली निवासी मिर्जापुर की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसमे से 35 एयर भूमि वादीगण ने उक्त खातेदारान ग्यारसा व रमजू से दिनांक 11.7.94 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त बेचान के बाद उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त खरीदशुदा भूमि 35 एयर का नामान्तकरण भी वादीगण के नाम खुल चुका है। जिसका नया नम्बर 1154/379 कायम किया गया है। इस तरह ख०न० 379 से बने नम्बर 1154/379 रकबा 35 एयर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि के दक्षिण में ग्यारसा, रमजू की ख०न० 379 की आराजी रही है। उसके बाद दक्षिण में ख०न० 386, 387 व 390 की भूमि है जो कि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि हैं वादीगण की भूमि के दक्षिण में ग्यारसा, रमजू की जो ख०न० 379 की भूमि रही है उस 36 एयर भूमि को ग्यारसा, रमजू ने केदार, विरजू, भजन व गोपाल माली को विक्रय कर दिया। प्रतिवादीगण की नियत खराब है। वे ख०न० 387 के उत्तरी पश्चिमी कोने से ख०न० 382 जो कि वादीगण व वादीगण के अन्य भाईयों के खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि है के उत्तरी पश्चिमी कोने तक तिकोण में ख०न० 379 की भूमि पर नाजायज प्रकार से कब्जा करना चाहते हैं। जिसमें केदार माली की भूमि के कुछ हिस्से की भूमि पर कब्जा करते हुए वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि ख०न० 1154/379 के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर भी कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने अपने इस नाजायज उद्देश्य से दिनांक 1.6.09 को ख०न० 386 की डौल मेड को तोड़कर कब्जा करना चाहा तो वादीगण ने मना किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख०न० 1154/379 में वादीगण के कब्जे काश्त कोई बाधा ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ख०न० 379 ग्राम मिर्जापुर किशनलाल, मोहनलाल पि० ग्यारसा हि० 1/2 रमजू पुत्र गंगाधर हि० 1/2 की खातेदारी की भूमि हैं जिसका रकबा मुताबिक जमाबंदी संवत् 2065-68 रकबा 25 एयर दर्ज है। ऐसी स्थिति में ग्यारसा व रमजू का 35 एयर रकबा वादीगण को विक्रय करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हाता है। अगर ख०न० 379 से नवीन नम्बर 1154/379 कायम होता है तो उसकी तरमीम नक्शा ट्रेस में होती जबकि मुताबिक नक्शा ट्रेस 1154/379 नम्बर की अलग से कोई तरमीम नहीं है। जब नक्शा ट्रेस के ख०न० 1154/379 का कोई रकबा ही नहीं है तो वादीगण द्वारा काश्त करने एवं कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब ख०न० 379 से वादीगण का कोई सम्बन्ध


उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(3)

वास्ता नहीं है तो वादीगण को उक्त ख०न० से सम्बन्धित वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। ख०न० 382 का प्रश्न है वह वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा ख०न० 379 के खातेदारान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। दिनांक 1.6.09 को भी कोई घटना घटित नहीं हुई। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर वाद में तनकी कायम की गई।

1. आया भूमि ख०न० 1154/379 रकबा 35 एयर ग्राम मिर्जापुर वादीगण की खरीदशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। —वादीगण
2. आया प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने को आमादा है एवं दिनांक 1.6.09 व दिनांक 18.6.09 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। —वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। — वादीगण
4. आया ख०न० 1154/379 की नक्शा ट्रेस में पृथक से कोई तरमीम नहीं है इसलिए इस नम्बर पर वादीगण कब्जा काश्त होने का प्रश्न ही नहीं है वादीगण ने दावा गलत पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। —प्रतिवादीगण

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श 3, नकल नक्शा ट्रेस संवत् 2034-35 प्रदर्श 4, फर्द मौका दिनांक 01.06.2009 प्रदर्श 5, प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 6 तथा नकल विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की है एवं बयान वादी हुल्लाराम पी०डब्लू० 1 कराये हैं।

प्रतिवादी ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं बयान प्रतिवादी रामनारायण डी०डब्लू० 1 कराए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जो नकल जमाबंदी प्रदर्श 2 से विदित है। अपने जबाब दावे में प्रतिवादीगण ने वादीगण का भूमि ख०न० 1154/379 पर कब्जा नहीं होने के सम्बन्ध में तथा भूमि ख०न० 379 का रकबा 25 एयर होने से सम्बन्धित जिन तथ्यों का उल्लेख किया है। उनको प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के कथन मात्र से प्रतिवादीगण के कथन को सत्य नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए कब्जा भी वादीगण का ही माना जावेगा। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।



उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)


(4)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0न0 1154/379 रकबा 35 एयर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगपुर सिटी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे वादीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.4.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगपुर सिटी
गंगपुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकदमे इबतदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

1. हुल्लाराम पुत्र स्व० पांच्या, माली नि. मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/1 किशनी पत्नी हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/2 काडू पुत्र हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/3 बाबूलाल पुत्र हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/4 हीरालाल पुत्र हुल्लाराम, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
- 1/5 भूरी पुत्री हुल्लाराम पत्नी रामलाल, माली निवासी नयापुरा महुकलॉ तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
- 1/5/1 रामलाल पुत्र रामेत, माली निवासी महुकलॉ तह० गंगापुर सिटी
- 1/5/2 हरिचरण पुत्र रामलाल, माली निवासी महुकलॉ तह० गंगापुर सिटी
- 1/5/3 लेखराज पुत्र रामलाल, माली निवासी महुकलॉ तह० गंगापुर सिटी
2. श्योपाल पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
3. रामखिलाडी पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
4. रामस्वरूप पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
5. बुधराम पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र जयनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
2. कल्लू पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
3. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
4. बच्चू पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
5. शिवचरण पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
6. गोपाल पुत्र रामनारायण पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी
7. रामप्रसाद पुत्र जयराम पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह० गंगापुर सिटी



उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(2)
8. शिवकुमार पुत्र किशोर पुत्र पांच्या, माली निवासी मिर्जापुर तह0 गंगापूर
सिटी
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 49/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री
मानू कुमार सिंहल, एडवोकेट मिनजानिब मुददई श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट
मुददायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार
वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी
को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0न0 1154/379
रकबा 35 एयर ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापूर सिटी के कब्जे काश्त उपयोग
उपभोग मे वादीगण को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.4.2022 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापूर सिटी (राज०)

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापूर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)